न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 51/2015 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. श्रीमती रामा देवी पत्नी श्री सरदारीलाल बलाई निवासी कापड़िया ग्राम पोस्ट सुन्दनपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. सरदारीलाल पिता स्व. श्री पूरणमला बलाई निवासी कापड़िया ग्राम व पोस्ट सुन्दनपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री सुरेश पिता स्व. श्री देवशंकर ब्राह्मण निवासी सुन्दनपुर मोहल्ला पटेलवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्रीमती भगवती देवी अब स्वर्गीया पत्नी स्व. श्री देवशंकर ब्राह्मण निवासी सुन्दनपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा (नाम तर्क किया गया)
3. श्रीमान् तहसीलदार बांसवाड़ा (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी बांसवाड़ा दिनांक30–09–2015 प्रकरण
सांख्या 13/2012 राजस्व वाद

———/———

उपस्थित :–1– श्री सरदारीलाल स्वयं
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2

——————————

निर्णय **दिनांक 15–01–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादीगण द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा–88, 209, 42–बी. एवं 183–बी. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सुन्दनपुर की आराजी नंबर 990,

991,1760/995–999 कूल किता–3 रकबा 15 बीघा जमीन देवशंकर के खाते व कब्जे की भूमि थी। देवशंकर जी के बाद यह भूमि अभी प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के नाम दर्ज है। इस भूमि को वादी संख्या–1 द्वारा ढाई दशक पूर्व देवशंकर जी से उनके परिवार के सदस्यों प्रतिवादी की सहमति से 4000/–रूपये बीघा के हिसाब से रूपये 60,000/– में विक्रय वादी को कर दी। जिसका पावर ऑफ अटोर्नी तथा इकरार भी निष्पादित किया गया। भूमि असमतल व अनुपजाऊ थी, जिसे वादी ने आबादान की है। वादी अनुसूचित जाति का है। जमीनों के भव बढ़ जाने से प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गई है तथा अब वे उक्त भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित नहीं कर रहे है। वादीगण का भुगतान के बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। 25 सालों के कब्जे के आधार पर मूल खातेदारान के हक अधिकार समाप्त हो चुके है। वादी प्रतिकूल कब्जे के कारण भी खातेदार बन चुका है। प्रकरण में प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की गई। वादी ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 30–9–2015 से वादी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20–11–2015 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट के आवेदन पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 का नाम तर्क किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–3 सरकार की और से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। जिन्होंने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से गुणावगुण आधार पर निर्णय किये जाने का अनुरोध किया।

अपीलान्ट की और से अपीलान्ट संख्या–2 स्वयं उपस्थित हुए तथा उन्होने मौखिक बहस करते हुए लिखित बहस भी पेश की, जो पत्रावली के रेकर्ड पर उपलब्ध है। लिखित बहस के साथ कुल 26 दस्तावेजात की भी प्रमाणित/फोटो प्रतियां पेश की।

अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि खातेदार देवशंकर द्वारा उसके पक्ष में इकरारनामा, पावर ऑफ अटोर्नी की भी तथा कब्जा

उसका है। अतएव प्रतिकूल कब्जे के कारण भी उसे खातेदार घोषित नहीं करने में अधिनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है।

अपीलान्ट की मौखिक व लिखित बहस, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड एवं पेश शुदा दस्तावेजात का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि पावर ऑफ अटोर्नी से कोई अधिकार अब शेष नहीं रहते, क्योंकि अटोर्नी प्रदाता व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। प्रकरण में जहां तक इकरारनामें का प्रश्न है, राजस्व न्यायालय इकरारनामे के आधार पर खातेदारी घोषणा नहीं कर सकता, यह सक्षम सिविल न्यायालय का संविदा निष्पादन के तहत उनका क्षैत्राधिकार है। इकरारनामा कोलेट्रल उद्धेश्य के लिए काम आ सकता है, उसे तलवार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रकरण में जहां तक कब्जे व प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न है, हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा आर.आर.टी. 2017 पेज 1139 तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने न्यायिक निर्देश आर.आर.डी. 2017.. ..... में राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी कानून में प्रावधान ही नहीं होने का विधिक न्याय निर्देश प्रदान किया है। तद्नुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा नहीं की जा सकती।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट का वाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है, वह उपरोक्तानुसार तथ्यात्मक व विधिक रूप से की गई विवेचनानुसार अपील स्तर पर भी विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने व सारहीन होने से खारिज योग्य पाया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद को खारिज किये जाने को हम उचित मानते है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–9–2015 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम ..... .**उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

1– श्रीमती रामादेवी पत्नी श्री सरदारीलाल बलाई नि0 कापड़िया ग्राम पोस्ट सुन्दनपुर तह. व जिला बांसवाड़ा (राज0) अन्य–1

बनाम

1–श्री सुरेश पिता स्व. श्री देवशंकर ब्राह्मण निवासी सुन्दनपुर मोहल्ला पटेलवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज0) अन्य–1 व सरकार

अपील नं0 **51/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत ..... **उपखण्ड अधिकारी**. ..... **बांसवाड़ा.....**..... मुकाम मुक्र्खे.....**30**..... माह .....**09**..... **2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**15**..... माह .....**01**..... सन् **2018.....**रूबरू... पक्षकारान व हाजरी बवक्त बहस ....**श्री सरदारीलाल** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**राजकीय आधिवक्ता** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–9–2015 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**15**.....माह ...**01**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।